Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RAS/RTS)

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: RJPM21

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RAS/RTS)

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

दृष्टि The Vision

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 011-47532596, 87501 87501
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें

www.facebook.com/drishtithevisionfoundation

www.twitter.com/drishtiias

RAS DLP

विषय सूची (Contents)

1.	**अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं कुछ महत्त्वपूर्ण संकल्पनाएँ**	**5-33**
1.1	अंतर्राष्ट्रीय संबंध	5
1.2	कुछ महत्त्वपूर्ण संकल्पनाएँ	8
2.	**शीत युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था**	**34-38**
2.1	शीत युद्ध	34
2.2	उत्तर-शीतयुद्ध काल	36
3.	**संयुक्त राष्ट्र एवं उसकी अन्य महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ**	**39-51**
3.1	संयुक्त राष्ट्र	39
3.2	संयुक्त राष्ट्र में सुधार	40
3.3	संयुक्त राष्ट्र के समक्ष वैश्विक चुनौतियाँ	41
3.4	संयुक्त राष्ट्र की अन्य महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ	42
4.	**क्षेत्रीय संगठन**	**52-70**
4.1	यूरोपीय संघ	52
4.2	गुटनिरपेक्ष आंदोलन	54
4.3	ब्रिक्स समूह	55
4.4	आसियान	57
4.5	सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन)	61
4.6	जी-20	63
4.7	जी-77	64
4.8	बिम्सटेक	65
4.9	शंघाई सहयोग संगठन	65
4.10	एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग	66
4.11	हिंद महासागर तटीय संघ	66
4.12	भारत अफ्रीका फोरम शीर्ष सम्मेलन	66

5. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद **71-74**

5.1 आतंकवाद 71

5.2 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद 71

5.3 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का खतरा क्यों बढ़ता जा रहा है? 72

5.4 आतंकवाद के विभिन्न स्वरूप 72

5.5 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से उपजे नकारात्मक परिणाम 73

5.6 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रसार को रोकने हेतु की गई पहलें/समाधान हेतु सुझाव 73

6. भारत की विदेश नीति **75-85**

6.1 विदेशी नीति : अर्थ एवं कार्य-क्षेत्र 75

6.2 विदेश नीति का महत्त्व 75

6.3 भारत की विदेश नीति 76

7. भारत का अन्य देशों के साथ संबंध **86-105**

7.1 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका 86

7.2 भारत और रूस 89

7.3 भारत और चीन 93

7.4 भारत तथा पड़ोसी देश 98

8. एशिया में भू-राजनीतिक एवं रणनीतिक विकास **106-120**

8.1 दक्षिण एशिया एवं भारत 106

8.2 दक्षिण-पूर्व एशिया एवं भारत 108

8.3 पश्चिम एशिया एवं भारत 114

अध्याय
1

अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं कुछ महत्त्वपूर्ण संकल्पनाएँ (International Relation & Some Important Concepts)

'राष्ट्र' शब्द जिसका प्रयोग बहुधा 'राज्य' के स्थान पर भी कर लिया जाता है, एक ऐसा शब्द है जिसके सांस्कृतिक निहितार्थ हैं। इसका संबंध जनता के उस समूह से होता है जो एकात्मकता एवं आपसी मूल्यों की भावना से संगठित होते हैं। इसे राजनीति विशेषज्ञ 'कल्पित समुदाय' (Imaginary Community) की संज्ञा देते हैं। यह समूह कुछ सांस्कृतिक कारकों पर आधारित होता है, जैसे-समान इतिहास, समान भाषा, समान धर्म, समान सजातीयता एवं समान प्रथाएँ आदि। 'राज्य' शब्द का संबंध राजनीतिक विचार और कानूनी सत्ता दोनों से होता है। तथापि, संयुक्त रूप से 'राष्ट्र-राज्य' शब्द का संबंध 'राष्ट्र' के रूप में एक ऐसी सांस्कृतिक इकाई से होता है, जिसकी सीमाएँ 'राज्य' की राजनीतिक-कानूनी सीमाओं के समान होती हैं। निकोलो मैकियावेली (Niccolo Machiavelli) संभवत: ऐसे पहले राजनीतिक विचारक थे, जिन्होंने अपनी कृति 'द प्रिंस' (The Prince) में आधुनिक राज्य के राजनीतिक सार का वर्णन किया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत आधुनिक राज्य निम्नलिखित चार लक्षणों पर आधारित होता है: स्थायी जनसंख्या (Permanent Population); निश्चित प्रदेश (Certain Territory); संगठित सरकार (Organised Government); तथा प्रभुसत्ता (Sovereignty)।

1.1 अंतर्राष्ट्रीय संबंध *(International Relation)*

अंतर्राष्ट्रीय संबंध से तात्पर्य दो या अधिक राष्ट्रों के मध्य संबंधों के स्वरूप से है, जिसमें राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक संबंध स्थापित होते हैं। दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य संबंधों का निर्धारण अनेक पहलुओं के द्वारा निर्धारित होता है, जिसमें शामिल हैं- राष्ट्र की शासन व्यवस्था, भौगोलिक अवस्थिति, संसाधनों की उपलब्धता, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विकासक्रम, विचारधारा एवं ऐतिहासिक मूल्य इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्विक व्यापार प्रतिरूप एवं नेतृत्व क्षमता भी प्रभावित करती है। राष्ट्र की सुरक्षा एवं संपन्नता को सुनिश्चित करने के लिये न सिर्फ पड़ोसी देशों के साथ बल्कि अन्य राष्ट्रों के साथ भी सकारात्मक एवं सौहार्द्रपूर्ण संबंध सहायक सिद्ध होते हैं।

चूँकि मध्य युग तक राष्ट्र-राज्यों का अस्तित्व ही नहीं था, तकनीकी दृष्टि से उस समय से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी संभव नहीं थे। तथापि, इस बात के स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है कि प्राचीन काल में अंतर्राष्ट्रीय मामलों को उजागर करने वाली राजनीतिक गतिविधियाँ प्रत्यक्ष थीं। हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र-राज्य व्यवस्था की अवधारणा के उदय के संकेत 1648 की वेस्टफेलिया की संधि (Westphalia Treaty) से मिलते हैं, जिसने यूरोप में तीस वर्षों (1618-1648) के युद्ध को समाप्त कर दिया। यह संधि राज्य व राज्य-व्यवस्था को कानूनी मान्यता देती थी। वास्तव में इसके द्वारा दो राज्यों-स्विट्ज़रलैंड और नीदरलैंड का निर्माण हुआ। इसके बाद यूरोपीय शासकों ने रोमन कैथोलिक चर्च की सत्ता को अस्वीकार कर दिया।

कालांतर में राष्ट्र-राज्य की अवधारणा ने न केवल विभिन्न अर्थ एवं रूप ग्रहण किये हैं बल्कि इसकी सत्ता ने नवीन उपलब्धियों का भी सामना किया है। हाल के वर्षों में व्यापार, उत्पादन और वित्त का वैश्वीकरण; संचार एवं परिवहन के क्षेत्र में क्रांति, तकनीक एवं शस्त्रों के विस्तार तथा पर्यावरणीय एवं सतत् सामरिक संकट ने ऐसी समस्याएँ खड़ी की हैं, जिनका समाधान राष्ट्र-राज्यों की संरचना के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। यह अधिराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संस्थाओं की खोज एवं विस्तार को अनिवार्य बनाता है जो कि राष्ट्रीय संप्रभुता (National Sovereignty) के परंपरागत मूल्य को दुर्बल बना सकता है। त्वरित वैश्वीकरण (Globalisation) के सांस्कृतिक प्रभाव अपने साथ उन विघटनकारी तत्त्वों को भी ला रहे हैं, जो समाज को अधोपतन की ओर प्रवृत्त करते हैं और जो पुरानी सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इकाइयों को विखंडित कर सकते हैं। अधोगमन की यह प्रवृत्ति पश्चिम के आर्थिक रूप से उन्नतिशील राष्ट्र-राज्यों में अधिक दिखाई देती है तथा इसका उद्देश्य राष्ट्र-राज्यों की एक संस्था के रूप में उनकी सत्ता के साथ-साथ उनके महत्त्व एवं औचित्य को भी कम करना प्रतीत होता है।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र राज्य की संकल्पना सर्वप्रथम वेस्टफेलिया की संधि में प्रकट हुई।
- वेस्टफेलिया जर्मनी में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जो 1815 से 1918 तक प्रशा साम्राज्य का हिस्सा रहा है।
- उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) अमेरिकी नेतृत्व में एक अंतर्सरकारी सैन्य गठबंधन है।
- NATO में वर्तमान में 29 सदस्य देश हैं। मांटेनेग्रो इस संगठन में शामिल होने वाला 29वाँ राज्य है।
- START (Strategic Arms Reduction Treaty रणनीतिक शस्त्र कटौती संधि) संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस के बीच 31 जुलाई, 1991 को हस्ताक्षरित हुई। इसके अंतर्गत दोनों देश परमााणु शस्त्रों के अपने भंडार में कटौती करने को तैयार हुए।

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 15–20 शब्दों में दीजिये)

1. 'राष्ट्र' से आप क्या समझते हैं?
2. 'अंतर्राष्ट्रीय संबंध' क्या है?
3. शीत युद्ध को परिभाषित करें।

लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 50–50 शब्दों में दजिये)

1. 'राष्ट्र' एवं 'राज्य' में अंतर स्पष्ट करते हुए 'राष्ट्र राज्य' की संकल्पना को स्पष्ट करें।
2. मार्शल योजना ने यूरोप को कैसे प्रभावित किया?
2. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विचारधारा किस प्रकार प्रभावित करती है? तर्क सहित उत्तर दीजिये।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 100 या 200 शब्दों में दीजिये)

1. नवीन शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं?
2. द्वितीय विश्व युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस प्रकार प्रभावित किया? सविस्तार वर्णन करें।
3. एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय में सहायक घटनाएँ कौन-सी थीं? इसके परिणामस्वरूप अमेरिका की भूमिका कैसे परिवर्तित हुई?

अध्याय
2

शीत युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था (World Order After Second World War)

शीतयुद्ध के अंत का आकस्मिक परिणाम था कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय संरचना के शिखर पर अकेला खड़ा था। अब सोवियत संघ कहीं से भी वर्चस्व में उसके आड़े नहीं था। शीतयुद्ध की समाप्ति ने अमेरिका और सोवियत संघ को उस प्रतिद्वंद्विता से मुक्त कर दिया था जिसने उनके अपार संसाधनों को निचोड़ लिया था और अन्य शक्तियों जैसे कि चीन, जर्मनी और जापान की तुलना में उनकी आर्थिक शक्ति को भी काफी कमज़ोर कर दिया था।

2.1 शीत युद्ध *(Cold War)*

सोवियत-अमेरिकी संबंधों में 'शीतयुद्ध' (Cold War) शब्द का प्रयोग तत्कालीन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विकसित गहन विद्वेष और तनाव को संबोधित करने के लिये किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से आमने-सामने बिना किसी युद्ध के शीतयुद्ध एक वैचारिक संघर्ष, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक चालों, सैन्य प्रतियोगिता, गुप्तचर/गतिविधियों और मनोवैज्ञानिक संघर्ष की प्रक्रिया थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के अंत के साथ ही यह स्पष्ट हो गया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक नए युग का प्रारंभ हो रहा था। अपने क्षेत्र में अद्वितीय एवं विनाशकारिता में अपूर्व होने के कारण बीसवीं शताब्दी के द्वितीय महायुद्ध ने न केवल एक ऐसी व्यवस्था का सूत्रपात किया जिसमें दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ का आधिपत्य था बल्कि इसने पूर्व शताब्दियों में साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा संकलित विशाल औपनिवेशिक साम्राज्यों के विघटन को भी तीव्र बना दिया और इस प्रकार अनेक लोगों को विदेशी शासन से मुक्ति मिली। उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी- यूरोपीय कोर क्षेत्र (European Core Area) के बाहर ऐसे अनेक प्रभुत्वसंपन्न राज्यों में शक्ति का वितरण जो उक्त दो महाशक्तियों द्वारा नियंत्रित थे।

इस महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता के लिये द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरांत जन्मे कुछ महत्त्वपूर्ण कारक उत्तरदायी थे। दो महाशक्तियों के बीच हितों का टकराव विवाद का एक प्रमुख कारण था। अंतर्राष्ट्रीय क्रम-व्यवस्था में शिखर पर अमेरिका और सोवियत संघ की सुदृढ़ स्थिति एक-दूसरे के लिये शंका का कारण थी। दूसरे, वैचारिक मतभेद ने न केवल दो शक्तिशाली राष्ट्रों बल्कि दो भिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के मध्य भी शीतयुद्ध को एक संघर्ष बना दिया। तीसरे, दोनों महाशक्तियों की एक-दूसरे के उद्देश्यों के प्रति गलतफहमी भी एक कारण थी। शंकालु व्यक्ति अपने कार्यों को सद्भावना से और प्रतिपक्षी के कार्यों को दुर्भावना की दृष्टि से देखते हैं। यह प्रवृत्ति शस्त्रों की होड़ से स्पष्ट होती है। गलतफहमी का शिकार होकर यह अनुमान लगा लिया गया कि शत्रु आक्रामक युद्ध की तैयारी कर रहा है। अत: शीतयुद्ध के विकास-काल में अमेरिका के नेताओं एवं उसके मित्रों ने उत्पन्न संकटों को विश्व-आधिपत्य की सोवियत योजना का भाग माना। दूसरी ओर, सोवियत संघ ने इसे भिन्न नज़रिये से देखा। उसने अपनी सामाजिक व्यवस्था के नाश के लिये पश्चिम को उत्तदायी माना। अविश्वास ने गलतफहमियों को जन्म दिया जो संघर्ष में बदल गया। विभिन्न हितों के साथ-साथ विचारधाराओं और धारणाओं का अंतर भी एक अन्य कारक था। इन महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता की गति को पूर्णत: समझने के लिये इसके कारकों को जानना एवं इसकी घटनाओं की जाँच करना महत्त्वपूर्ण है जिसका हम आगे सविस्तार वर्णन करेंगे।

द्वितीय विश्वयुद्ध के तुरंत बाद सोवियत-अमेरिकी मित्रता पारस्परिक शत्रुता में बदल गई। वर्ष 1950 में कोरियाई युद्ध और तिब्बत में चीनी हमले के साथ ही दो शक्तियों का आमना-सामना स्पष्ट है। यह सार्वभौमिक रूप से एक कटु संघर्ष बन गया जिससे एक मुक्त विवाद (Open Dispute) के बढ़ने का भय हो गया। दूसरी ओर, महाशक्तियों के संबंधों ने तब एक नया मोड़ लिया जब 1949 में सोवियत संघ ने संयुक्त राज्य के परमाणु शक्ति (Atomic Power) संबंधी एकाधिपत्य को समाप्त कर दिया। नए शक्ति संतुलन में परिवर्तन ने प्रत्यक्ष विरोध से आंदोलन की दिशा बदल दी। अब दोनों शक्तियों ने मित्रों के साथ-साथ महत्त्वपूर्ण संसाधनों का विस्तार शुरू कर दिया। उनकी सफलताओं ने द्विध्रुवीय विश्व (Bipolar World) का निर्माण किया जहाँ एक ओर अमेरिका और उसके मित्र थे तो दूसरी ओर सोवियत संघ और उसके मित्र।

अध्याय
3

संयुक्त राष्ट्र एवं उसकी अन्य महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ (United Nations and Its Important Agencies)

संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व स्तर पर इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का यह दूसरा प्रयास था। इसके पहले प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद युद्ध एवं हिंसा को रोकने के लिये राष्ट्र संघ (League of Nations) की स्थापना की गई थी लेकिन यह संगठन युद्ध रोकने में सफल नहीं हो सका था। द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका को देखते हुए युद्ध के दौरान ही विश्व के प्रमुख नेताओं ने एक ऐसा संगठन बनाने पर विचार करना शुरू कर दिया था जो भावी पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाए, साथ ही विश्व में शांति भंग करने के प्रयासों को रोक सके। इसे देखते हुए द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 51 देशों द्वारा 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ये देश अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने, राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करने, सामाजिक प्रगति, बेहतर जीवन-स्तर की प्राप्ति तथा मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने के प्रति प्रतिबद्ध थे।

3.1 संयुक्त राष्ट्र *(United Nations)*

स्थापना	:	24 अक्टूबर, 1945
मुख्यालय	:	न्यूयॉर्क सिटी
प्रमुख अंग	:	6 (संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यासी परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय)

महासभा *(General Assembly)*

यह संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख नीति-निर्माता एवं प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। महासभा का अध्यक्ष सदस्य देशों में से प्रतिवर्ष एक वर्ष के लिये चुना जाता है।

सुरक्षा परिषद *(Security Council)*

यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रभावी अंग है। इसका प्रमुख कार्य वैश्विक व्यवस्था एवं शांति को बनाए रखना है। इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य- चीन, रूस, फ्राँस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। अस्थायी सदस्यों का चयन महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिये किया जाता है।

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद *(Economic and Social Council)*

यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर नीतियों की समीक्षा एवं सिफारिश करने हेतु प्रमुख संस्था है। इसके 54 देश सदस्य हैं, जिनका चयन महासभा द्वारा 3 वर्षों के लिए होता है।

न्यासी परिषद *(Trusteeship Council)*

इसकी बैठक विशेष परिस्थितियों में महासभा, सुरक्षा परिषद या न्यासी परिषद के अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय *(International Court of Justice)*

यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र महत्त्वपूर्ण अंग है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से बाहर हेग (नीदरलैंड) में अवस्थित है। इसका प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा करना तथा संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं को सलाह प्रदान करना है।

अध्याय
4

क्षेत्रीय संगठन (Regional Organisation)

क्षेत्रीय संगठन ऐसे देशों का समूह है जो किसी साझे उद्देश्य की प्राप्ति हेतु रणनीति बनाने एवं कार्य करने के लिये साथ आते हैं। इन उद्देश्यों में मुख्यत: आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक एवं सुरक्षा संबंधी हित सम्मिलित होते हैं। क्षेत्रीय संगठन में मुख्यत: किसी एक (समान) भौगोलिक क्षेत्र के देश शामिल होते हैं, किंतु इसका स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है।

4.1 यूरोपीय संघ *(European Union)*

'यूरोपीय संघ' यूरोप महाद्वीप के 28 देशों का एक विशिष्ट आर्थिक एवं राजनीतिक संघ है, जो संपूर्ण यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों को समाहित करता है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है।

यूरोपीय संघ के 19 देशों द्वारा समान मुद्रा 'यूरो' (EURO) प्रयोग की जाती है। यूरो प्रयोगकर्त्ता देशों को सामूहिक रूप से 'यूरोज़ोन' के नाम से जाना जाता है। यूरोपीय संघ सामूहिक रूप से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार 2016 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी 22.8 प्रतिशत है। वर्तमान में हम यूरोपीय संघ की जो व्यवस्था देख रहे हैं, उसका विकास द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् यूरोपीय देशों के मध्य हुए विभिन्न समझौतों से हुआ है। यूरोपीय संघ के विकासक्रम को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है:-

पेरिस संधि (1951)

बेल्जियम, फ्राँस, जर्मनी, इटली, लक्ज़मबर्ग एवं नीदरलैंड के मध्य यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय (European Coal and Steel Community- ECSC) के गठन हेतु संधि।

रोम संधि (1957)

इसके माध्यम से निम्नलिखित दो अन्य समुदायों का गठन किया गया-

- यूरोपीय आर्थिक समुदाय (European Economic Community)
- यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय (European Atomic Energy Community)

ब्रुसेल्स संधि (1965)

इस संधि को विलय संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसके माध्यम से तीनों यूरोपीय समुदायों के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न संस्थाओं का विलय कर दिया गया तथा साझी संस्थाओं, जैसे- मंत्रिपरिषद, आयोग, संसद तथा न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया।

एकल यूरोप अधिनियम (1986)

रोम संधि में संशोधन के माध्यम से राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण।

मैस्ट्रिच संधि (1992)

इसके माध्यम से तीनों यूरोपीय समुदायों को यूरोपीय संघ के रूप में स्थापित किया गया तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय को यूरोपीय समुदाय का नाम दिया गया। इसे 'यूरोपीय संघ संधि' (Treaty of European Union) के नाम से भी जाना जाता है।

एम्सटर्डम संधि (1997)

यूरोपीय संघ के सामाजिक उत्तरदायित्वों, जैसे- रोज़गार प्रोत्साहन, रहने एवं कार्य स्थल की स्थिति में सुधार, उचित सामाजिक सुरक्षा इत्यादि में वृद्धि की गई।

अध्याय
5

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद (International Terrorism)

आतंकवाद के संदर्भ में अनेक मत दिये जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर अभी तक इसे औपचारिक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सका है। यद्यपि विचारकों एवं विश्लेषकों की एक व्यापक सहमति एवं समझ के अनुसार आतंकवाद से तात्पर्य ऐसे हिंसक कृत्यों से है, जिनका उद्देश्य अपनी विचारधारा के प्रचार-प्रसार तथा निहित धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों की प्राप्ति हेतु भय का वातावरण उत्पन्न करना है। बड़े पैमाने पर हिंसा का प्रयोग निहत्थी भीड़ पर करने के कारण इसके गुणनकारी परिणाम होते हैं, वहीं वर्तमान में मीडिया की सक्रियता, सोशल मीडिया की व्यापक पहुँच और इस प्रकार के अन्य प्रचार माध्यम इसे अनचाहे सहयोग प्रदान करने का ही कार्य करते हैं। आतंकवाद का प्रमुख उद्देश्य व्यापक जनसमूह को भयाक्रांत कर अपनी विचारधारा के प्रति मनोवैज्ञानिक स्तर पर प्रभाव उत्पन्न करना है।

5.1 आतंकवाद *(Terrorism)*

'आतंकवाद' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्राँस की क्रांति के दौरान हुआ, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के कार्यकाल में तथा उसके पश्चात् 9/11 की घटना के बाद यह शब्द अत्यधिक प्रचलित हुआ।

आज विश्व के लगभग सभी हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियाँ अपने पाँव पसार चुकी हैं। यही नहीं, समय के साथ इसके स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहा है, जिसे हम सुनियोजित आतंकवादी गतिविधियों, यथा- 26/11 मुंबई, 9/11 संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर हाल ही में हुए लोन वूल्फ अटैक, यथा- लॉस वेगास की घटना, पेरिस की घटना के रूप में देख सकते हैं।

5.2 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद *(International Terrorism)*

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से तात्पर्य आतंकवाद के ऐसे स्वरूप से है, जिसका विस्तार राष्ट्रीय सीमाओं से परे होता है। इसमें आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाला व्यक्ति या समूह तथा इस कृत्य से प्रभावित होने वाले लोग दो या अधिक अलग-अलग राष्ट्रों से संबंधित हो सकते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की 9/11 आतंकवादी घटना को देखा जा सकता है, जिसका संचालन अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन के द्वारा सऊदी अरब में रहते हुए किया गया। इस घटना ने आतंकवाद के प्रति वैश्विक जनसमूह का ध्यान आकर्षित करते हुए विश्व को गंभीरता एवं विनाशक प्रवृत्ति से अवगत कराया।

कुछ प्रमुख आतंकवादी संगठन	
संगठन	प्रमुख संचालन क्षेत्र
आई.एस.आई.एस.	सीरिया, इराक, लेबनान
अलकायदा	मध्य पूर्व, सोमालिया
हक्कानी नेटवर्क	अफगानिस्तान
लश्कर-ए-तैयबा	पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर
इंडियन मुजाहिदीन	भारत
जैश-ए-मोहम्मद	पाकिस्तान
हमास	फिलीस्तीन
बोको हरम	नाइजीरिया, कैमरून, चाड
हिजबुल्लाह	लेबनान
अल-नुशरा	सीरिया, लेबनान
अल सय्याफ	फिलीपींस, मलेशिया

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को निम्नलिखित परिस्थितियों में परिभाषित किया जा सकता है-

- जब आपराधिक कृत्य का निष्पादन अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत हुआ हो।
- इस कृत्य से उत्पन्न खतरे का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय हो।
- इन कृत्यों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की आवश्यकता एवं अपेक्षा हो।

अध्याय 6

भारत की विदेश नीति (Foreign Policy of India)

अन्य देशों के साथ संबंधों से संबंधित नीति को किसी देश की विदेश नीति (Foreign Policy) कहा जाता है। सामान्यत: विदेश नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े सभी विषयों, जैसे कि शांति, निःशस्त्रीकरण, जलवायु परिवर्तन, विकास, न्याय, भूमंडलीकरण आदि के संदर्भ में देशों के मध्य संबंधों के संचालन को शामिल किया जाता है। अन्य शब्दों में, यह वैश्विक मामलों में अपने राष्ट्रीय हितों की तलाश में किसी देश की नीति की रूपरेखा होती है। वस्तुत: एक राष्ट्र-राज्य अपनी विदेश नीति के माध्यम से ही अन्य राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है।

6.1 विदेशी नीति : अर्थ एवं कार्य-क्षेत्र *(Foreign Policy : Meaning and Scope)*

जहाँ तक विदेश नीति को सुपरिभाषित करने का प्रश्न है तो विदेश नीति की अपनी पारंपरिक परिभाषा है- "किसी अन्य देश के व्यवहार को बदलने तथा अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में अपनी गतिविधियों को समायोजित करने के लिये अपने देश के क्रियाकलापों की व्यवस्था ही हमारी 'विदेश नीति' कहलाती है।"

यह माना जाता है कि किसी देश की विदेश नीति केवल उसके राष्ट्रीय हित (National Interest) से प्रेरित होती है तथा दूसरे देशों के साथ समझौता करने में कोई भी अन्य प्राथमिकता सम्मिलित नहीं होती। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि फिर 'राष्ट्रीय हित' का निर्माण कैसे होता है? इस संदर्भ में दो मत सामने आते हैं- आदर्शवादी मत (Idealistic View), जहाँ 'राष्ट्रीय हित' को कुछ सार्वभौमिक भौतिक आकांक्षाओं, जैसे कि शाश्वत शांति अथवा मानवीय भाई-चारे से जोड़कर देखा जाता है और यथार्थवादी मत (Realistic View), जिसके अनुसार राष्ट्रीय हित (National Interest) को राष्ट्रीय शक्ति (National Power) के बराबर का दर्जा दिया जाता है।

वास्तव में राष्ट्रीय हित (National Interest) ही विदेश नीति की प्रमुख संकल्पना है, क्योंकि राष्ट्रीय हित ही किसी राज्य की आकांक्षाओं को परिभाषित करते हैं। इसका राज्य की अन्य नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संदर्भ में भी व्यावहारिक रूप से प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही इसका राजनीतिक रूप से भी अनुप्रयोग व्यवहार्य है। यहाँ यह बात महत्त्वपूर्ण है कि आज वैश्वीकरण के दौर में किसी देश के राष्ट्रीय हित को उसकी भू-राजनीतिक अवस्थिति (Geo-Political Location) एवं वैश्विक पर्यावरण (Global Environment) से अलग करना मुश्किल है। कुल मिलाकर किसी देश की विदेश नीति उसके विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये संचालित कार्य-योजनाओं के कुल योग से कहीं अधिक होती है। साथ ही किसी देश की विदेश नीति न केवल घरेलू कारकों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कारकों से भी निर्धारित होती है। इनमें कुछ गतिशील कारक (Dynamic Factors) होते हैं, जो समय के साथ-साथ परिवर्तित होते रहते हैं और कुछ मौलिक कारक (Basic Factors) होते हैं जो विदेश नीति पर दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी देश की विदेश नीति के कार्यान्वयन हेतु निरंतरता और परिवर्तन दोनों ही आयाम अपना अस्तित्व रखते हैं।

6.2 विदेश नीति का महत्त्व (*Importance of Foreign Policy*)

आज के विश्व में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जगत के बीच विद्यमान अंतर निरंतर कम होता जा रहा है। अत: जब हम विदेश नीति के बारे में सोचते हैं तो हमें इसके घरेलू निहितार्थों के विषय में भी अवश्य सोचना चाहिये। किसी भी देश की विदेश नीति का अंतिम प्रयोजन अपने नागरिकों की सुरक्षा के साथ-साथ उनके हित एवं खुशहाली को भी बढ़ावा देना होता है। आज एक ऐसे विश्व की दरकार बनी हुई है, जो आपको शांति एवं सुरक्षा का ऐसा परिवेश उपलब्ध करा सके, जिसमें आप विदेशी शोषण से सुरक्षित रहकर और बाहरी अवसरों का लाभ उठाते हुए निरंतर प्रगति कर सकें।

हमें किसी भी देश को अपने बहुपक्षीय क्रियाकलापों के लिये निरंतर नए निकायों और व्यवस्थाओं से जोड़ना होता है। उदाहरण के लिये, भारत 'इब्सा' वार्ता मंच (IBSA Dialogue Forum), ब्रिक्स (BRICS) तथा दक्षेस (SAARC) से लेकर

अध्याय
7

भारत का अन्य देशों के साथ संबंध (India's Relation With Other Country)

वर्तमान परिवेश में, किसी भी देश या नगर-राज्य के नागरिक के लिये केवल अपने ही देश के बारे में सोचना बिल्कुल भी यथार्थपरक नहीं होगा। ध्यातव्य है कि अमेरिका में 11 सितंबर, 2001 में घटी घटना ने वैश्विक ग्राम (Global Village) के विषय में हमारी पुरानी धारणा को ही स्पष्ट किया अर्थात् इस एक घटना ने यह साफ कर दिया कि यदि किसी दूरस्थ गाँव के किसी कोने में अवस्थित फूस की झोंपड़ी अथवा धूल भरे किसी शिविर में आग लगती है तो यह हमारे वैश्विक ग्राम के दूसरे छोर पर अवस्थित ऊँची-ऊँची अट्टालिकाओं में लगी इस्पात की चादरों को भी पिघला सकती है। अन्य शब्दों में, आज विश्व में जो मुद्दे कभी दूर के लगते थे, वे अब आपके आँगन में आ गए हैं। अत: हमारा विकल्प स्पष्ट होना चाहिये कि यदि हमें अपने देश में अपनी इच्छा के अनुरूप समाज का निर्माण करना है और इसे बनाए रखना है तो हमें वैश्विक स्तर पर भी निश्चित रूप से सक्रिय रहना होगा।

वर्तमान में भारत पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हमारा स्वास्थ्य, हमारी सुरक्षा, हमारी संवृद्धि एवं समृद्धि के साथ-साथ हमारे जीवन की गुणवत्ता भी उत्तरोत्तर इस बात से प्रभावित होती है कि देश की सीमा के पार क्या हो रहा है? यही कारण है कि हम पड़ोस में होने वाली घटनाओं को नज़रअंदाज करने का साहस नहीं कर सकते, बेशक ये घटनाएँ कहीं दूर घटती प्रतीत होती हों। दरअसल, आज के विश्व में आपको दूसरों के संबंध में जानकारी रखना लाभकारी ही होगा।

7.1 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका *(India and United States of America)*

संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र होने के साथ एक महाशक्ति है जो वैश्विक परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं नीतियों को प्रभावित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्रम में भारत के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाना अनिवार्य हो जाता है। शीत युद्ध के पहले तथा बाद में भारत-अमेरिकी संबंधों में प्राय: उतार-चढ़ाव देखे गए, जिसका प्रमुख कारण दोनों देशों के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु प्रयत्न तथा वैश्विक शक्ति संतुलन स्थापित करने हेतु व्यवस्था निर्माण के रूप में देखा जा सकता है।

भारत-अमेरिकी संबंधों में सहयोग के मुद्दे *(Issues of Cooperation between India and USA)*

- दोनों देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से संचालित होते हैं।
- भारत तथा अमेरिका दोनों ही मुक्त अर्थव्यवस्था तथा उदारवाद को प्रोत्साहन देते हैं।
- अमेरिका आर्थिक एवं तकनीकी रूप से अत्यधिक विकसित देश है, जो भारत के आर्थिक एवं तकनीकी विकास में सहायक सिद्ध होता है।
- भारत की विशाल जनसंख्या अमेरिकी पूंजीवादी कंपनियों को बड़ा बाज़ार उपलब्ध कराती है।
- भारत और अमेरिका दोनों आतंकवाद के शिकार रहे हैं। अत: आतंकवाद के विरुद्ध साझा सहयोग दोनों की प्राथमिकता में है।
- चीन का शक्तिशाली उभार दोनों देशों के लिये चिंता का विषय है, जिसे संतुलित करने हेतु भारत एवं अमेरिका के बीच सहयोग अपेक्षित है।
- अफगानिस्तान में शांति एवं स्थायित्व तथा क्षमता निर्माण दोनों देशों की प्राथमिकता में शामिल है।
- अमेरिका में एक बड़ी जनसंख्या भारतीय मूल की है जो दोनों देशों के मध्य परस्पर सांकृतिक, सामाजिक मेल-मिलाप को बढ़ाकर सहयोगी एवं सकारात्मक वातावरण का निर्माण करती है।

अध्याय
8

एशिया में भू–राजनीतिक एवं रणनीतिक विकास (Geo-Political and Strategic Development in Asia)

एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होने के साथ सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी है। एशिया में क्षेत्रीय स्तर पर सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक–आर्थिक एवं धार्मिक रूप से व्यापक विविधता विद्यमान है। कभी–कभी विविधता ना सिर्फ तनाव का कारण बनती है बल्कि कई विवादों एवं अशांति को भी जन्म देती है। एशिया में पश्चिम एशिया सर्वाधिक अशांत क्षेत्र है। वहीं दक्षिण एशिया के विकासशील देश अपने विकास कार्यक्रमों को तीव्र गति से संचालित कर रहे है। दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों ने आर्थिक एवं सामाजिक विकास के नए प्रतिमान हासिल किए हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों के साथ भारत के संबंधों का रणनीतिक एवं सामरिक पक्ष भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है, जो भारत के निरंतर विकास एवं स्थायी शांति हेतु आवश्यक है।

8.1 दक्षिण एशिया एवं भारत *(South Asia and India)*

जहाँ तक दक्षिण एशिया का प्रश्न है तो इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण के लिये किसी योजना का सूत्रपात करने की ज़रूरत पड़े। अंग्रेज़ों द्वारा उपनिवेश बनाए जाने के पहले भारत की अपनी अलग पहचान थी और ईसा के जन्म से तीन शताब्दी पहले ही इस भू–भाग में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, जिसका विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पश्चिम में पुरुषपुर (पेशावर) से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक था। सल्तनत व मुगल काल में भी समूचे भारतीय उपमहाद्वीप को ही सुल्तान या बादशाह एक ऐसा क्षेत्र समझता था जिस पर आधिपत्य स्थापित किये बिना उसकी संप्रभुता को निरापद या निर्विवाद नहीं समझा जा सकता। भारत की अपनी अलग पहचान है जो एक स्वायत्त-संपन्न-सबल राजनीतिक इकाई के रूप में ही नहीं बल्कि एक प्रभावशाली सांस्कृतिक स्रोत के रूप में भी हज़ारों वर्ष पुरानी व सुप्रतिष्ठित है।

धर्म, भाषा, वेश–भूषा, स्थापत्य कला, ललित कला तथा चिंतन पर भी अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक भारतीय छाप आज भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। दुर्भाग्य से विदेशी साम्राज्यवादियों ने न केवल भारत की भौगोलिक एकता को धूर्ततापूर्वक खंडित किया वरन् उसकी सांस्कृतिक बहुलता को भी इन देशवासियों के बीच फूट डालने के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। आज का दक्षिण एशिया स्वतंत्रता तक एक ही था– इसके विभिन्न हिस्से आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में परस्पर पूरक थे। नहरों का जाल हो या रेल की पटरियों का तंत्र, यह सब भारतीय उपमहाद्वीप की अविभाजित पहचान को महत्त्वपूर्ण मानकर ही बनाए गए थे।

श्रीलंका से बर्मा (वर्तमान म्याँमार) तक के क्षेत्र ब्रिटिश भारतीय सरकार के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े थे। स्वयं अंग्रेज़ों ने बड़े पैमाने पर भारतीय मजदूरों, कारीगरों को ले जाकर इन दोनों जगहों पर अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये बसाया था और इनके पीछे–पीछे भारी संख्या में डॉक्टर, वकील और व्यापारी भी वहाँ पहुँच गए। इन प्रवासी भारतीयों के माध्यम से भारतीय भू–भाग का आत्मिक और घनिष्ठ आर्थिक संबंध इन दोनों देशों के साथ बना रहा है। नेपाल के साथ यह नाता तो और भी नज़दीकी का है। श्रीलंका के संदर्भ में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने तो यहाँ तक कहा था कि उस देश के निवासियों के साथ हमारा हाड़–माँस का रिश्ता है।

ब्रिटिश सेनाओं ने 1816 में नेपाली सेनाओं को निर्णायक रूप से पराजित किया था और **सुगौली की संधि (Treaty of Sugauli)** के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि भारतीय महाद्वीप में (नेपाल समेत) अंग्रेज़ ही संप्रभु शासक समझे जा सकते हैं। सिक्किम और भूटान ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के संरक्षित राज्य थे (अंतर्राष्ट्रीय विधिक मान्यता के अनुसार ऐसे संरक्षित राज्यों को पूर्णत: स्वाधीन या संप्रभु नहीं कहा जा सकता)।

एक लंबे स्वाधीनता संघर्ष के बाद भारत 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र तो हो गया लेकिन दुर्भाग्य से देश की आज़ादी के साथ ही देश का विभाजन भी कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने जब सत्ता का हस्तांतरण किया तो मुस्लिम–बहुल आबादी वाले क्षेत्रों को जोड़कर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी राज्यों के बीच लगभग डेढ़ हज़ार

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456